दिनांक – 19/07/2021 को संयुक्त सचिव–सह–मिशन निदेशक (NULM), नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) तथा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) की सभी नगर निगम / परिषद् / पंचायत के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की कार्यवाही –

<u>उपस्थिति</u>

1. नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर निगम / परिषद् / पंचायत
2. श्री उमाकांत पाण्डेय, परियोजना पदाधिकारी–सह–अपर निदेशक
3. वेद प्रकाश दयाल–राज्य परियोजना समन्वयक (NULM)
4. सभी राज्य मिशन प्रबंधक (NULM)

<u>कार्यवाही</u>

अधोहस्ताक्षरी द्वारा DAY-NULM तथा PM SVANidhi योजना संबंधी की गयी समीक्षा के क्रम में निम्न निदेश दिए गए –

I. <u>PM SVANidhi योजना –</u>

- वित्त मंत्रालय ,भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में दिनांक 5 जुलाई से 20 जुलाई 2021 तक आयोजित विशेष कैंप में फूटपाथ विक्रेताओ की शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु निदेश दिया गया था। इस क्रम में दिनांक 5 जुलाई से 17 जुलाई तक आयोजित विशेष कैंप की प्रगति की समीक्षा अधोहस्ताक्षरी द्वारा की गयी जिसमें पाया गया कि बीरपुर, घोघरडीहा, निर्मली, सुरसंड, मनिहारी, झाझा, बिहारशरीफ़, शाहपुर, केसरिया, रिविलगंज, महरौरा, बखरी, जनकपुर रोड, भभूआ, मोहनिया, दलसिंहसराय आदि नगर निकायों द्वारा mobilization नहीं करने के कारण कैंप में अधिक संख्या में आवेदक उपस्थित नहीं हो पाए। ऐसे सभी नगर निकायों के पदाधिकारी को अधोहस्ताक्षरी द्वारा विशेष प्रयास कर कैंप को सफल बनाने के निदेश दिया गया।

  (अनुपालन: सभी संबंधित नगर निकाय / राज्य मिशन प्रबंधक – S&SI एवं SEP)

- PM SVANidhi योजना अंतर्गत सभी नगर निकायों की समीक्षा के क्रम में नगर निकाय गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, कटिहार, मनिहारी, नौबतपुर, ठाकुरगंज की प्रगति अच्छी पाई गयी एवं शेष अन्य नगर निकायों का कार्य असंतोषजनक पाया गया।

  (अनुपालन: सभी संबंधित नगर निकाय)

- लंबित आवेदन के संबंध में PM SVANidhi पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन को पुनः संबंधित बैंक को प्रेषित करने हेतु presentation के माध्यम से सभी नगर निकायों को अवगत कराया गया एवं उपरोक्त प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए लंबित आवेदनों को बैंको को अग्रसारित करने हेतु निदेशित किया गया एवं इस संबंध में यह भी निदेशित किया गया कि यदि लाभुक ऋण लेने हेतु इच्छुक नहीं हो तो उनसे लिखित आवेदन प्राप्त कर ही ऋण आवेदन को पोर्टल के Ineligible Bin में अग्रसारित किया जाये।

  (अनुपालन: सभी नगर निकाय)

- विशेष कैंप हेतु नगर निकायों द्वारा बैंक शाखावार नामित नोडल पदाधिकारी को निर्धारित कैंप के दिन संबंधित बैंक शाखा में उपस्थित रहने हेतु निदेशित किया गया।

  (अनुपालन: सभी नगर निकाय / सभी बैंक शाखावार नामित नोडल पदाधिकारी)

- बैंक द्वारा अधिक संख्या में आवेदनों को अस्वीकृत किये जाने के कारण सभी नगर निकायों को PM SVANidhi पोर्टल पर फुटपाथ विक्रेताओं के आवेदन की संख्या को बढाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन: सभी नगर निकाय)

II. DAY-NULM योजना –

योजना का घटकवार प्रगति की समीक्षा की गई एवं निम्न निदेश दिए गए –

क. सामाजिक जागरूकता एवं संस्थागत विकास (SM&ID) –

- सभी नगर निकायों को निदेश दिया गया है कि अपने निकायों में गठित स्वयं सहयता समूहों (SHG) को PAiSA पोर्टल के माध्यम से verify एवं approve करें ताकि चक्रचालित राशि के वितरण हेतु विभाग द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

(अनुपालन: सभी नगर निकाय)

- पटना नगर निगम एवं अन्य कई नगर निकायों में अभी तक Community Organizer (CO) एवं Community Resource Person (CRP) का चयन नहीं किया गया है जिससे कार्य में आपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है। ऐसे नगर निकायों को 15 दिनों के अन्दर चयन प्रक्रिया पूर्ण कर विभाग को सूचित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन: पटना नगर निगम एवं सभी संबंधित नगर निकाय)

ख. स्वरोजगार कार्यक्रम एवं वित्तीय समावेशन (SEP&FI) –

- नगर निकायों में गठित स्वयं सहायता समूहों (SHG) का बैंक लिंकेज में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। अत: सभी नगर निकाय 15 दिनों में बैंक लिंकेज हेतु आवेदन तैयार कर संबंधित बैंकों को भेजना सुनिश्चित करेंगें। इस संबंधी सूचना क्षेत्रीय कार्यालय एवं विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे ताकि राज्य स्तर पर बैंको के साथ समन्वय स्थापित कर प्रक्रिया में तेजी लाया जा सके।

(अनुपालन: सभी सम्बंधित नगर निकाय)

- स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत इस वित्तीय वर्ष में केवल नगर निगम बेतिया, नगर परिषद् किशनगंज तथा नगर पंचायत रामनगर के द्वारा ही "टास्क फ़ोर्स" की बैठक की गयी है। प्रत्येक माह टास्क फ़ोर्स की बैठक आयोजित करने का निदेश सभी नगर निकायों को दिया गया है।

(अनुपालन: सभी नगर निकाय)

ग. शहरी गरीब हेतु आश्रयस्थल (SUH) –

नगर निकायों में निर्मित आश्रय स्थलों में आश्रयविहीनों की संख्या प्रयाप्त नहीं है, इसे बढ़ाये जाने हेतु गैर सरकारी संगठनों/सामुदायिक संगठनों (NGOs/CBOs) एवं संबंधित वार्ड के पार्षदो की सहायता प्राप्त कर निकाय क्षेत्रान्तर्गत सभी आश्रयविहीनों को आश्रय स्थलों तक लाने हेतु प्रयास करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन: सभी सम्बंधित नगर निकाय)

- वर्ष 2014-15 में स्वीकृत 8 नगर निकायों (मोतिहारी, सिवान, सहरसा, राजगीर, बोधगया, हवेली खड़गपुर, औरंगाबाद एवं बेगुसराय) में राज्य स्तरीय SUH अनुश्रवण समिति की दिनांक-23.06.2021 की बैठक में दिए गए निदेश के आलोक में आश्रय स्थलों के निर्माण कार्य 31.10.2021 तक पूर्ण एवं क्रियान्वयन कराये जाने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन: सभी सम्बंधित नगर निकाय)

- वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत 3 नगर निकायों (मनेर, सिमरी बख्तियारपुर एवं पिरो) में आश्रय स्थलों के निर्माण स्थल नहीं रहने के कारण निर्माण नहीं हो सका, इस क्रम में निदेश दिया गया की विवादरहित भूमि को चिन्हित करते हुए प्रस्ताव यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराया जाये।

(अनुपालन: सम्बंधित नगर निकाय)

- वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत 6 नए आश्रय स्थलों (पटना-3, जगदीशपुर-1, बनमंखी-1 एवं फारबिसगंज-1) के निर्माण हेतु सभी निकायों को आवंटन उपलब्ध कराया जा चुका है। सभी को 15 दिनों के अन्दर कार्य प्रारम्भ कर विभाग को सूचित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन: सम्बंधित नगर निकाय)

- विभागीय पत्रांक-8242 एवं पत्रांक-8243 दिनांक-12.07.2021 के आलोक में सभी नगर निकायों को आश्रय स्थल से संबंधित विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 15 तारीख तक भेजे जाने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालन: संबंधित नगर निकाय – जहाँ आश्रय स्थल संचालित हो)

- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् नवादा द्वारा बताया गया कि जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा आश्रय स्थल को पूर्ण रूपेण सदर अस्पताल को हस्तांतरित करा दिया गया है। इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी नवादा को निदेश दिया गया कि उक्त आशय का पत्र विभाग को भेजें ताकि विभागीय स्तर से कारवाई की जा सके।

(अनुपालन: परियोजना समन्वयक–SUH, NULM)

<u>घ. अन्यान्य –</u>

- DAY–NULM योजना अंतर्गत नगर निकायों को घटकवार राशि आवंटित किया गया है। राशि व्यय के उपरांत कुछ नगर निकाय द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। समर्पित उपयोगिता प्रमाण पत्र में Cash Book में प्राप्ति एवं व्यय संबंधी पृष्ट की अभिप्रमाणित छायाप्रति नहीं रहने के कारण राशि का समायोजन महालेखाकार में नहीं हो सका है। तुरंत अनुपालन करने का निदेश सभी नगर निकायों को दिया गया है।
- जिस नगर निकाय के पास काफी राशी पड़ी हुई है उसे व्यय कर तुरंत UC तैयार कर भेजने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन: सभी नगर निकाय एवं परियोजना पदाधिकारी-सह-अपर निदेशक)

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक- 1023 **न०वि० एवं आ०वि०** **पटना, दिनांक-** 28/7/21

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी नगर निकायों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
3. टीम लीडर, DAY-NULM को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।